न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 157/2009/223 आर टी ए

लिछमा धर्मपत्नि स्व0 श्री रामचन्द्र, जाति जाट, निवासी बहलोलनगर, हाल आबाद जाटों का मोहल्ला, हनुमानगढ़ टाऊन, तहसील व जिला हनुमानगढ–

––अपीलांट

बनाम

1. लालचन्द पुत्र श्री भादरराम, जाति जाट, निरवासी बहलोलनगर, तहसील व जिला हनुमानगढ़–
2. विजय पुत्र लालचन्द, जाति जाट, निवासी बहलोलनगर, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. नरेन्द्र पुत्र लालचन्द, जाति जाट, निवासी बहलोलनगर, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. महावीर पुत्र जसवन्त, जाति जाट, निवासी बहलोलनगर, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
5. राजेश पुत्र जसवन्त, जाति जाट, निवासी बहलोलनगर, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
6. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

–– रेस्पोडैन्टस

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 23.02.2002 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़ प्र0सं0 118/01 अनवानी लालचंद बनाम रामचन्द्र

उपस्थित :–

श्री राजेन्द्र कुमार जैन अधिवक्ता अपीलांट

श्री लालचंद वर्मा अधिवक्ता रेस्पो0

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0

निर्णय दिनांकः–28.02.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि रेस्पो. सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट के पति स्व0 श्री रामचन्द्र एवं रेस्पो0 सं. 2 ता 5 के विरूद्व वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि चक 41 एसएसडब्ल्यू में 43 बीघा, 43 एसएसडब्ल्यू में 3 बीघा व चक 16 एसटीजी में 6 बीघा मुमकिन व गैर मुमकिन कुल 52 बीघा 5 बिस्वा कृषि भूमि पैतृक सम्पति है तथा श्री रामचन्द्र ने इस भूमि में से चक 41 एसएसडब्ल्यू की कृषि भूमि रेस्पोडेंट संख्या–2 ता 5 को बैय तथा 16 एसटीजी की 6 बीघा रेस्पो. सं. 1 लालचन्द को विक्रय की जा चुकी है। रेस्पो. सं. 1 ने स्वयं को श्री रामचन्द्र दत्तक पुत्र होने का कथन करते हुये उक्त भूमि में बहिस्सा बराबर का हक प्रकट कर शेष 20 बीघा भूमि चक 43 एसएसडब्ल्यू के पत्थर नम्बर–72/309 किला नम्बर–6 ता 8 की 3 बीघा, चक 41 एसएसडब्ल्यू पत्थर नम्बर–73/309 किला नम्बर–1–10 की 2 बीघा पत्थर नम्बर–74/314 किला नम्बर–4, 7 ता 9, 12 ता 14, 16 ता 19 तथा 22 ता 25 कुल 20 बीघा

अपने कब्जा काश्त में होने से इस भूमि के सम्बन्ध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा व खाता विभाजन का अनुतोष चाहा। जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादपत्र अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के जरिये स्वीकार किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील बतौर तृतीय पक्ष्कार पेश की है।

2. उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस के कथन किया कि अपीलांट के पति श्री रामचन्द्र ने रेस्पो. सं. 1 को कभी भी गोद नहीं लिया व ना ही किसी प्रकार की गौद की रस्म हुई। रेस्पो. सं. 1 स्व0 श्री रामचन्द्र का खोलायत पुत्र नहीं हैं व ना ही उसे कभी खोलायत पुत्र माना गया। कानूनन गोदनामा विधिसम्मत नहीं होने से गलत व शून्य है। रेस्पो. सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्वयं को श्री रामचन्द्र का दत्तक पुत्र होने के मिथ्या कथन किये व फर्जी तथा कूटरचित दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये। अपीलांट के पति का दौराने दावा देहान्त होने के पश्चात् अपीलांट स्व0 श्री रामचन्द्र की विधवा पत्नि होने से आवश्यक पक्षकार थी तथा रेस्पो. सं. 1 ने अपीलांट को ना तो पक्षकार बनाया व ना ही दावा के सम्बन्ध में कोई सूचना दी। रेस्पो. सं. 1 ने अपने पुत्रों रेस्पोडेंट संख्या–2 व 3 तथा अपने भाई जसवन्त के पुत्रों रेस्पोडेट–4 व 5 से मिलीभगत कर अपीलांट के पति की भूमि गुप्त रूप से हड़पी है व तथ्यों को छुपाकर डिक्री करवाई है। अपीलांट का पति रामचन्द्र वृद्व व मंदबुद्वि का अनपढ़ व ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति था तथा अक्सर बीमार रहता था तथा इस स्थिति का नाजायज फायदा उठाते हुये उसके अंतिम दिनों में दावा कर प्रश्नगत भूमि श्री रामचन्द्र की सहमति व ज्ञान के बिना अपने पक्ष में करवा ली। रेस्पोडेंट ने कुल सम्पति हड़प करने व खुर्दबुर्द करने तथा अपीलांट को अपने हक व अधिकार से वंचित करने के लिये फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार किये हैं जिसकी बाबत उक्त दस्तावेज को निरस्त करवाने के लिये अलग से सक्षम न्यायालय में चाराजोही करेगी।

4. स्व0 श्री रामचन्द्र की एक मात्र जायज व कानूनी वारिस होने का कथन कर रेस्पो. सं. 1 का मृतक श्री रामचन्द्र की सम्पति में किसी प्रकार का हक व हिस्सा सृजित व औद नहीं होने का कथन किया। रेस्पो. सं. 1 के सम्बन्ध में यह कथन किये कि वह अपीलांट के पति की कृषि भूमि वहां रहकर काश्त में सहता करता था व बाद में हिस्सा–ठेका पर यह जमीन लेने लगा तथा अपीलांट व उसके पति को कृषि भूमि का हिस्सा–ठेका देते रहे। अपीलांट के पति की मृत्यु के बाद भी वैशाखी सम्वत 2066 के पश्चात् हिस्सा ठेका बन्द कर देने पर पटवारी हल्का से इस डिक्री का ज्ञान होने पर दिनांक 25–11–2009

को निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर यह अपील ज्ञान के दिवस से अन्दर मियाद प्रस्तुत किये जाने का कथन किया। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं थी तथा अपीलांट ने ज्ञान के स्त्रोत के सम्बन्ध में शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है। रेस्पोडेंट ने इन तथ्यों के सम्बन्ध में खण्डन में कोई शपथ–पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलांट की पीठ पीछे अपीलाधीन निर्णय होने से विलम्ब को माफ करने हेतु उदारतापूर्ण विचार किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे एआईआर पेज 890, डीएनजे 1995 पेज 402, डीएनजे 2015 पेज 419 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जावें।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है तथा अपीलांट बतौर तृतीय पक्षकार प्रस्तुत करने की भी अधिकारी नही है। अपील अन्दर मियाद नहीं होने से खारिज योग्य है। प्रदर्श–5 एक रजिस्टर्ड दस्तावेज है। अपीलांट ने इस दस्तावेज को फर्जी व कूटरचित होने का मिथ्या कथन किया हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्व0 श्री रामचन्द्र ने जबावदावा प्रस्तुत करते हुये प्रदर्श–5 के निष्पादन को स्वीकार किया है तथा बतौर गवाह डीडब्ल्यू–1 उपस्थित होकर प्रदर्श–5 को साबित किया है। रजिस्टर्ड गोदनामा की स्थिति में गोदनामा की रस्मों को साबित किया जाना आवश्यक नहीं है व इस सम्बन्ध में आरआरडी 1989 पेज 580 प्रस्तुत किये। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने यह भी तर्क भी प्रस्तुत किया कि अपीलांट ने यह अपील सन् 2009 में प्रस्तुत की है तथा आज तक प्रदर्श–5 को सिविल न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी है। किसी गोदनामा के तथ्यों के सम्बन्ध में विवाद सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा ही तय किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में न्यायदृष्टान्त आरआरडी 1991 पेज 416 प्रस्तुत किया। विद्वान अधिवक्ता रेस्पो. सं. 1 ने प्रदर्श–5 के परिवर्णनों की ओर ध्यान आकृर्षित करते हुये यह तर्क भी दिया है कि प्रदर्श–5 में स्व0 श्री रामचन्द्र ने रेस्पो. सं. 1 को अपना वसीयती उतराधिकारी भी नियुक्त किया है तथा ऐसी स्थिति में यदि इस गोदनामा को हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मान्यता न भी दी जावे तो यह दस्तावेज एक कम्पोजिट दस्तावेज होने से इस दस्तावेज को वसीयत के रूप में देखा जा सकता हैं। प्रदर्श–5 दस्तावेज के निष्पादन के पश्चात् स्व0 श्री रामचन्द्र ने रजिस्टर्ड दस्तावेज वसीयतनामा दिनांक 04–08–1983 के अन्तर्गत अपीलांट को अपना वसीयती उतराधिकारी भी नियुक्त किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का प्रश्नगत भूमि

कोई हक नहीं रहता। अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस के समर्थन मे एआईआर 1978 मद्रास पेज 54, एआईआर 1982 मद्रास पेज 281, सिविल कोर्ट केसेज 2013 पेज 183 एससी व सिविल कोर्ट केसेज 2010 (2) पेज 300 एससी न्यायदृष्टान्त प्रस्तुत किये। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण अपील खारिज की जावें।

6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया व प्रस्तुत न्यायदृष्टान्तों का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया। अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। अपीलांट स्व0 श्री रामचन्द्र की पत्नि है तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दौराने दावा स्व0 श्री रामचन्द्र के देहान्त होने के उपरान्त अपीलांट को स्व0 श्री रामचन्द्र के वारिस के रूप में पक्षकार नहीं बनाया गया। अपीलाधीन डिक्री के अन्तर्गत स्व0 श्री रामचन्द्र के नाम अभिलिखित भूमि रेस्पो. सं. 1 की खातेदारी घोषित हुई है। अपीलांट का इस भूमि में प्रत्यक्ष हित होने एवं स्व0 श्री रामचन्द्र की पत्नि होने के कारण अपील प्रस्तुत करने का अधिकार है चूंकि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं थी इस कारण धारा 96 सीपीसी के अन्तर्गत उसे व्यथित पक्षकार मानते हुये तृतीय पक्षकार के रूप में अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है। अपीलांट ने यह अपील ज्ञान के दिवस से प्रस्तुत करने का कथन किया है। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने यह अपील अन्दर मियाद नहीं होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं थी तथा अपीलांट ने ज्ञान के स्त्रोत के सम्बन्ध में शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है। रेस्पोडेंट ने इन तथ्यों के सम्बन्ध में खण्डन में कोई शपथ–पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलांट की पीठ पीछे अपीलाधीन निर्णय होने से विलम्ब को माफ करने हेतु उदारतापूर्ण विचार किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष श्री रामचन्द्र बतौर प्रतिवादी पक्षकार रहा है तथा उसके दौराने दावा देहान्त होने के कारण अपीलांट को भी पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित डिक्री स्व0 श्री रामचन्द्र के देहान्त उपरान्त अपीलांट की अनुपस्थिति में पारित होने से न्यायहित में यह अपील गुणावगुणों पर तय की जाना आवश्यक है तथा इन परिस्थितियों में विलम्ब को माफ करते हुये अपील अन्दर मियाद ग्रहण की जाती है।

7. अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो. सं. 1 ने प्रश्नगत 20 बीघा भूमि के सम्बन्ध में स्व0 श्री रामचन्द्र के जीवनकाल में उसे पक्षकार बनाते हुये वादपत्र प्रस्तुत किया था। इस वादपत्र का आधार प्रदर्श–5 गोदनामा है तथा रेस्पो0 का तर्क है कि वसीयतनामा दिनांक 04–08–1983 के अनुसार श्री रामचन्द्र की निर्वसीयत मृत्यु नहीं हुई है बल्कि उसने

रेस्पो. सं. 1 को अपना वसीयती उतराधिकारी भी नियुक्त किया है। इस दस्तावेज में स्व0 श्री रामचन्द्र ने रेस्पो. सं. 11 को अपना वसीयती उतराधिकारी होने के सम्बन्ध में परिवर्णन अंकित किये हैं तथा अपनी मृत्यु बाद अपनी जमीन जायदाद का मालिक होने एंव अन्य किसी का कोई वास्ता नहीं होने के तथ्य अंकित किये हैं व तत्पश्चात् दिनांक 04–08–1983 को वसीयत भी निष्पादित की है। चूंकि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद मे पक्षकार नही थी तथा दौराने दावा रामचन्द्र की मृत्यु होने के उपरांत भी अपीलांट जो रामचन्द्र की पत्नि है, को पक्षकार नही बनाया गया। जिसके कारण अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखने से वंचित रहीं है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रभावित पक्षकार को बिने सुने पारित अपीलाधीन निर्णय की पुष्टि की जाकर यथावत रखा जाना न्यायोचित नही होने के कारण अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायसंगत है।

8. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23–02–2002 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को आवश्यक पक्षकार के रूप मे संयोजित किया जाकर उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए दस्तावेजी साक्ष्य एवं सबूतो के आधार पर पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावे। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.03.2018 को उपस्थित हो।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर.ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़